

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 405] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 28, 1978/भाद्रा 6, 1900
No. 405] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 28, 1978/BHADRA 6, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

प्रधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 1978

का०प्रा० 531(ख).—दिल्ली परिवहन निगम (सदस्य) नियम, 1973 के नियम 3 और 5 के साथ पठित सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1958 (1958 का 64) की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रयुक्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा श्री मुकन्द लाल कल्याण, सदस्य, दिल्ली नगर निगम और निवासी डब्ल्यू जैड-31, उग्र सेन मार्केट, अशोक नगर, नई दिल्ली 110018 तथा श्री पी० पी० कैप्रीहन, मुख्य सचिव, दिल्ली प्रशासन को क्रमशः

श्री देवकी नन्दन और श्री बी० एन० टंडन के स्थान पर दिल्ली परिवहन निगम का सदस्य नियुक्त करती है तथा नवीहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) भारत सरकार की अधिसूचना का० प्रा० 338 (ग) दिनांक 1 मई, 1976 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में,

पैराग्राफ 1 में,

मद (vi) के सामने की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "श्री मुकुन्द लाल कत्याल, सदस्य, दिल्ली नगर निगम, " और मद (xi) के सामने की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "श्री पी०पी० कैप्रीहन, मुख्य सचिव, दिल्ली प्रशासन" रखी जाए।

[सं० टी०जी०डी० (59)/76]

बी०बी० महाजन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th August, 1978

S.O. 531(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 of the Road Transport Corporation Act, 1950 (64 of 1950), read with rules 3 and 5 of the Delhi Transport Corporation (Members) Rules, 1973, the Central Government hereby appoints Shri Mukand Lal Katyal, Member, Municipal Corporation of Delhi and resident of WZ-31, Uggar Sain Market, Ashok Nagar, New Delhi-18 and Shri P. P. Caprihan, Chief Secretary, Delhi Administration as Members of the Delhi Transport Corporation vice Shri Devki Nandan and Shri B. N. Tandon respectively and makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) No. S.O. 338(E), dated the 1st May, 1976, namely :—

In the said notification,

in paragraph 1,—

for the entry against item (vi), the entry "Shri Mukand Lal Katyal, Member, Municipal Corporation of Delhi," and for the entry against item (xi), the entry "Shri P. P. Caprihan, Chief Secretary, Delhi Administration" shall be substituted.

[No. TGD(59)/76]

B. B. MAHAJAN, Jt. Secy.